न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस

अपील संख्या 107/2014

1. हरचरनसिंह
2. गुरमीतसिंह
3. गुरजीतसिंह
4. गुरमीतसिंह
5. अजीतपालसिंह
6. छिन्द्रपालकौर
7. भूपेन्द्रकौर

पुत्र/पुत्रिया प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासीगण 8 वाई गांव मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1.गुरलाभसिंह पुत्र वीरसिंह
2.गुलजार सिंह पुत्र वीरसिंह
3.हरजीत कौर बेवा नाजरसिंह
4.इन्द्रजीत सिंह पुत्र नाजर सिंह
5.गुरजन्ट सिंह पुत्र रणसिंह
6.गुरदयाल सिंह पुत्र रणसिंह
7.इकबाल सिंह पुत्र रणसिंह
8.मलविन्द्र सिंह पुत्र रणसिंह

जाति जटसिख निवासीगण 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9. मलकीयत कौर बेबा महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गली 13, वार्ड नं. 8 एकता नगरी, मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
10. निर्मल कौर बेबा महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गली 13,

23/7/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

वार्ड नं. 8 एकता नगरी, मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

11. तरसेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. कुलविन्द्र कौर दुखतर महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई तहसील व जिला मोहनपुरा नाबालिग जरिये माता व वलिया मलकीयत कौर, निर्मल कौर बेवा महेन्द्र सिंह।
13. मनदीप कौर दुखतर महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा जरिये माता व वलिया मलकीयत कौर।
14. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, श्रीगंगानगर

दिनांक 27.10.2014

उपस्थितिः—

श्री कुलविन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट

श्री रामसिंह ढाका, अभिभाषक रेस्पों. सं. 2

श्री इकबाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय :— दिनांक :—27.07.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 53, 183 का पेश कर कथन किया कि वादिया सं. 1 के पति 2 से 6 के पिता प्रीतम सिंह के नाम चक 2 बी छोटी के मु.नं. 6 के कि. नं. 4 से 7, 14

27/7/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

से 17, 24 , 25 तथा मु.नं. 48 के कि.नं. 16 से 18 की कुल 3.162है0 भूमि खातेदारी थी। प्रीतम सिंह का देहान्त हो गया तथा वादीगण प्रीतम सिंह के जायज वारिस होने के कारण प्रीतम सिंह के नाम दर्ज 0.269है0 भूमि के ब. हि.ब. के खातेदार हैं। उक्त खाता का शेष रकबा प्रतिवादी सं. 1 से 15 के नाम दर्ज है। वादीगण के उक्त रकबा पर प्रतिवादी सं. 1, 2 ने नाजायज कब्जा कर रखा है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बार–बार कहा कि उक्त खाता की आराजी का किलावाईज बंटवारा कर खाता अलग कायम करवाये मगर उन्होंने इन्कार कर दिया। यही वादकरण पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि वाद स्वीकार करते हुए वाद की अनुतोष की मद सं. क से घ के अनुसार वाद डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी सं. 1, 2, 4, 6, 7, 8 व 11 ने जबाब दावा मय कांउटरक्लेम पेश कर दावा को खारिज करने एवं कांउटरक्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया।

दावा व जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 4 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 27.10.2014 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 1 , 2 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि 0.379है0 का खातेदार घोषित कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था जिसे वादीगण ने साबित किया था। किन्तु अधी. न्यायालय ने पंजीकृत बैयनामा से भूमि खरीद करने के आधार पर तनकी का निर्णय वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में किया है। तनकी नं. 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था, जब तनकी सं. 1 को वादीगण ने साबित कर दिया तो तनकी नं. 2 का

2/3/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय वादीगण के पक्ष में करना चाहिए था। तनकी नं. 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने पंजीकृत बैयनामा प्रदर्शित करवाया है और भूमि खरीद करने के दिन से कब्जा बताया है जबकि वादीगण ने बैयनामा से इन्कार नहीं किया है। अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। विशेष किलाजात का बेचान नहीं हो सकता। बैयनामा छोटे टुकडे के रूप में है इसलिए बैयनामा शून्य है जिससे प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। अधी. न्यायालय ने पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य का सही विवेचन किये बिना वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण का कांउटरक्लेम स्वीकार कर लिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलांट ने डी.एन.जे. 2015(4) पेज 1593 , आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1136, डी.एन.जे. 2011(1) पेज 89, डी.एन.जे. 2010(एस.सी.) पेज 377, 2008 आर.आर.टी.(1) पेज 66 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. द्वारा जरिये बैयनामा विवादित भूमि प्रीतम सिंह से क्रय की है एवं कब्जा रेस्पों. का चला आ रहा है। बैयनामा को सक्षम सिविल न्यायालय से ही निरस्त करवाया जा सकता है जो भूमि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा बैयनामा से क्रय की है उसी को ही कांउटरक्लेम स्वीकार करते हुए खातेदार घोषित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पों. ने आर. आर.डी. 1993 पेज 326, 2006–07(सप्लीमेंट) आर.आर.टी. पेज 466, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 286, 921, 2014(1) आर.आर.टी. 695 की नजीरें पेश की।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दावा का निर्णय दिनांक 27.10.2014 के विरूद्ध पेश हुई जिसका सार यह है कि अपीलांट दावे में वादीगण मृतक प्रीतम सिह के वारिस होकर उसकी मृत्यु उपरांत वादीगण के नाम दर्ज कर उसका बंटवारा करने का दावा पेश किया जिसके जबाब दावे एवं कांउटरक्लेम में प्रतिवादीगण द्वारा इस विवादित आराजी को मृतक प्रीतम सिंह द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा बेचने से उनके नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा जिसे अपीलांट/वादीगण ने इन्कार किया कि प्रीतमसिंह द्वारा आराजी का कोई बेचान नहीं किया और न ही कोई बेचान दस्तावेज निष्पादित किया जबकि पंजीबद्ध बेचान के दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित होकर अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। दावे व जबाबदावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा तीन तनकीयात कायम की जाकर उनपर साक्ष्य संग्रहित होकर यह तनकी भी प्रतिवादीगण(रेस्पों.) के पक्ष में विनिश्चय हुई कि विवादित आराजी प्रीतम सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज से रेस्पों. को बेचान कर दी थी जिसके आधार पर प्रतिवादीगण/रेस्पों. का कांउटरक्लेम स्वीकार हुआ। अपीलांट कानूनी रूप से या तथ्यात्मक रूप से अपील में यह साबित करने में असफल रहे कि अधी. न्यायालय की किस कमी की वजह से उसे अनुतोष दिया जा सके। अधी. न्यायालय के निर्णय का सार बिन्दु बेचान दस्तावेज पर Rely कर कांउटरक्लेम स्वीकार करना जिसके विरूद्ध सिर्फ रजिस्टर्ड दस्तावेज को Civil Court से discredit करवाने का ही विकल्प उपलब्ध है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'G'-9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार आर.ए., राजस्व अपील प्राधिकारी

1. हरचरनसिंह
2. गुरमीतसिंह
3. गुरजीतसिंह
4. गुरमीतसिंह
5. अजीतपालसिंह
6. छिन्द्रपालकौर
7. भूपेन्द्रकौर

पुत्र/पुत्रिया प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासीगण 8 वाई गांव मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुरलाभसिंह पुत्र वीरसिंह
2. गुलजार सिंह पुत्र वीरसिंह
3. हरजीत कौर बेवा नाजरसिंह
4. इन्द्रजीत सिंह पुत्र नाजर सिंह
5. गुरजन्ट सिंह पुत्र रणसिंह
6. गुरदयाल सिंह पुत्र रणसिंह
7. इकबाल सिंह पुत्र रणसिंह
8. मलविन्द्र सिंह पुत्र रणसिंह

जाति जटसिख निवासीगण 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9. मलकीयत कौर बेबा महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गली 13, वार्ड नं. 8 एकतानगरी , मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
10. निर्मल कौर बेवा महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गली 13, वार्ड नं. 8 एकता नगरी , मण्डी डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

11. तरसेम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. कुलविन्द्र कौर दुखतर महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई तहसील व जिला मोहनपुरा नाबालिग जरिये माता व वलिया मलकीयत कौर, निर्मल कौर बेवा महेन्द्र सिंह।
13. मनदीप कौर दुखतर महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा जरिये माता व वलिया मलकीयत कौर।
14. बलविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
15. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेंट्स

अपील नं. 107 सन् 2014 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीगंगानगर मुर्क्ख 27 माह 10 सन् 2014

दावा

यह अपील व तारीख 27 माह 07 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री कुलविन्द्र सिंह, अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री रामसिंह ढाका, अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 एवं श्री इकबाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता समाहत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग.....X.....) रूपये .....X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .....X.....अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 27 माह 07 सन् 2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)